रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2542] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 2542] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2015

का.आ. 3223(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, तेलांगना के मेढक और निजामाबाद जिलों में 18.20° से 18.13° उत्तरी अक्षांश तथा 78.36° से 78.29° पूर्व देशांतर के मध्य अवस्थित है और यह 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है;

और जहाँ, टरमिनालिया अर्जूना, टेक्टोना ग्रान्डिस, मधुका इंडिका, नुचानिना लंजान, लनेनिया कोरोमन्डालिका, डिओसपिरोस क्लोरोस्लोन और रिटिया टिनटोरिया क्षेत्र कि प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ है ;

और जहाँ, पैंथर्स बंदरगाह, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, सांभर, स्पोटड डियर, कामन फ्कस, फोर होर्नड एनटिलोप, जंगल कैट तथा जंगली कुत्ता;

और, पोचारम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में पोचारम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पोचारम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 380.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समाविष्ट तेलगांना के मेढक और निजामाबाद जिले और सम्मिलित 41 ग्राम तक विस्तारित क्षेत्र होगा ।

(2) पोचारम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पांच किलोमीटर तक परिवर्तनीय पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तारित क्षेत्र होगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन मानचित्र में **उपाबंध I** के रुप में दिया गया है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में दी गयी है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र उनके अक्षांश और देशांतर के सहित **उपाबंध III** रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना -(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य विभाग भी है, के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर जैसे तंबू और लकड़ी के गृह आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की बफर आंचलिक प्रबंधन योजना के अनुसार पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना, आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, तेलगांना सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, तेलगांना सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक हितैशी पर्यटन क्रियाकलापों से सम्बंधित पर्यटकों के रहने के लिए अस्थायी निवास हेतु आवास के अलावा अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटलों और रिसर्टों के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी के आगे पारिस्थितिक संवेदी जोन तक नए होटलों और रिसार्टों को स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पूर्व परिभाषित और पदाभिहित क्षेत्रों में केवल पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए दी जाएगी ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाई**-

(i) प्रस्तावित प्रारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी, किंतु विधि विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग पर लागू नहीं होगी।

(ii) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण फैलाने नए उद्योग को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) प्रस्तावित रेल लाईन परियाजना के लिए जिन्हें निजामाबाद जिले के भिखनूर मंडल के तिपापुर और तालमंडला गांव से निकलना है रेल लाइन से 500 मीटर छोडकर पारिस्थितिक संवेदी जोन प्रतिबंधित होगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय अनुज्ञात नहीं होंगी ;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा । (ग) निजमाबाद में विद्यमान प्रोजक्ट, जो कि जोन के क्षेत्र मे आते है उनके लीज समय कि समाप्ति के बाद और आगे समय के लिए नवीकरण/बढ़ाया नहीं जायेगा और मेढक जिले में पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में खनन अनुज्ञात नही होगा ।
(2)	आरा मिलों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु विधि के अनुसार विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग जारी रहेंगे ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(10)	होटल और रिसोर्ट की स्थापना ।	पारिस्थितिकी के अनुकूल पर्यटन कार्यकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थाई आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र कि सीमा से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र के भीतर कोई नये वाणिज्यिक होटलो तथा रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन कार्यकलापों या विद्यमान कार्यकलापों के विस्तार पर्यटन मास्टर प्लान और राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगे ।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

		परंतु, स्थानीय व्यक्तियो को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि पर संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है, को करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा । प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कार्यकलापो को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से अनुज्ञात किया जायेगा । (ख) एक किलोमीटर से ज्यादा तथा पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियो कि आवश्कताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे । (ग) पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे ।
(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) संरक्षित वनों और सुरक्षित वनों के संदर्भ में कार्य योजना में विहित (वर्किंग प्लान परिसक्रिप्सन) का अनुसरण होगा ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(क) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में 33 किलोवाट और अधिक लाइन बिछाना प्रतिषिद्ध होगा ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगी ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	विशाखापटन शहरी विकास प्राधिकरण योजना के अनुसार उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	वाणिज्यिक उपयोग के लिए ।

(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित ऐसे उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(23)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (गै.का.व.उ.) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध ।
(26)	कृषि प्रणालियों में आमूल-चूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप :	
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागबानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढावा देना होगा ।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर, निजामाबाद - अध्यक्ष ;

(ख) जिला कलक्टर का प्रतिनिधि, मेढक - सदस्य ;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(घ) तेलंगाना सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(ङ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, - सदस्य;

(च) नगर नियोजक/मुख्य शहर योजना/ क्षेत्र का जेष्ठ शहर नियोजक – सदस्य;

(छ) प्रखंड वन्यजीव अधिकारी (टी), मेढक– सदस्य ;

(ज) प्रखंड वन्यजीव अधिकारी (टी), निजामाबाद – सदस्य ;

(झ) प्रखंड वन्यजीव अधिकारी, वन्यजीव प्रबंध, मेढक और जिला वन्यजीव वार्डन मेढक - सदस्य-सचिव ।

निर्देश का निबंधन

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/60/2014-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र की सीमा का विवरण:

ए से बी: पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा मोथे ग्राम सीमा के लींगामपेट मंडल के जिला निजामाबाद से आरंभ होकर बिन्दु 'ए' से स्टेशन 1 से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम भू-भाग के साथ अक्षांश-देशांतर 18.31718 – 78.16117 में और यह पूर्वी दिशा की ओर आती है और मोथे टैंक की उत्तरी सतह को छूती हुई, इसके बाद यह स्टेशन सं. 2 एवं 3 से होकर आगे बढ़ती है और सीमा स्टेशन सं. 4 एवं 5 के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है, इसके बाद यह पेद्दा देमी की ग्राम सीमा को छूती है, इसके बाद यह स्टेशन सं. 7 एवं 8 के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाती है, यह सेररापहाड़, नंदीवाडा ग्राम की सीमा रेखा के साथ दक्षिणी सतह स्टेशन सं. 9,10,11 एवं 12 की ओर जाती है और बंदीवाडा और चीतयल ग्राम के जैव-संगम पहुँचती है, इसके बाद यह स्टेशन 13 और 14 के साथ पूर्वी दिशा में जाती है और स्टेशन 15 के साथ चीतयब की ग्राम सीमा की दक्षिणी दिशा की और मुड़ती है और स्टेशन सं. 16 पहुँचती है जो की चीतयल, संताईपेट, अरगोंडा ग्रामों का तिराहे बिन्दु है । इसके बाद यह पूर्वी दिशा से होते हुए स्टेशन सं. 17, 18, 19 की ओर जाती है और ताडमाडला और अरगोंडा जैव-संगम के स्टेशन से 20 पहुँचती है इसके बाद यह पेडडाईपली-ताजमाइला ग्राम की सीमा रेखा के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'बी' पर ताडमाइला के सीवर ग्राम के स्टेशन सं. पहुँचती है ।

बी से सी: स्टेशन सं. 22 के बिन्दु से – बी, जोन सीमा रेखा आरंभ होकर दक्षिणी दिशा की ओर जाती है जो कि रेलवे ट्रैक अवशेष के समीप के समांतर 500 मीटर की दूरी से रेलवे ट्रैक है और यह दक्षिणी दिशा के साथ स्टेशन सं. 23,24,25,26 एवं 27 को जोड़ती हुई जाती है और तीप्पापुर ग्राम सीमा के स्टेशन सं. 28 में मिलती है और यह भीकनूर के रिजर्व वन को जोड़ती है और दुबारा यह रिजर्व वन से होते हुए दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन 29 में मिलती है जो निजामाबाद और मेढक जिला की जिला सीमा है । स्टेशन सं. 29 से जोन मेडक जिला के कटरीयल के ग्राम सीमा के साथ आरंभ होकर दक्षिणी दिशा के स्टेशन सं. 30 एवं 31 को जोड़ती है और इसके अतिरिक्त स्टेशन सं. 31 से- सीमा रेखा आरंभ होकर लक्ष्मापुर की ग्राम सीमा पूर्वी दिशा की ओर जाती है और दक्षिणी दिशा से मुड़ती हुई स्टेशन सं. 33 एवं 34 को जोड़ती है जो बिन्दु-'सी' है और यह लक्ष्मापुर और शमनापुर ग्राम का द्वि-संगम बिन्दु है ।

सी से डी: स्टेशन सं. 34 के बिन्दु सी से- सीमा रेखा शमनापुर के ग्राम के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती हुई स्टेशन सं. 35, 36 को जोड़ती है, इसके बाद यह जरा सी दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और यह मेडक रामायमपेट पी. डब्ल्यू. डी. सड़क को पार करके और यह स्टेशन सं. 38 से मिलती है और इसके अतिरिक्त यह साथ में औरंगाबाद और मदुलवाई की ग्राम सीमा की ओर जाती है ओर स्टेशन सं. 39 एवं 40 को जोड़ती है, इसके बाद यह कुचानपली ग्राम की ग्राम सीमा रेखा के साथ स्टेशन सं. 40, 41 को जोड़ती हुई और स्टेशन सं. 42 पहुँचती है जो कुचानपली के टैंक में स्थित है, इसके अतिरिक्त स्टेशन सं. 42 से -रेखा कुचानपली, फरीदपुर और सारदाना ग्राम सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 43 से - रेखा पसुपुलेरु वगु से होते हुए स्टेशन सं. 44, 45, 46, 47 को जोड़ती जाती है और मेडक- जिला सीमा निजामाबाद के बिंदु- डी पहुँचती है ।

डी से ए: स्टेशन सं. 47 के बिंदु- 'डी' से-रेखा नगीरेडेपेट मंडल के बदल पर थे, पोचारम की ग्राम सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर टेढे-मेढे ढंग में स्टेशन सं. 48 से 57 को जोड़ती हुई, रेखा आर. एफ. ब्लॉक पोलकामपेट में स्टेशन 58 को छूती है, यह पोलकामपेट, कन्नापुर और पोथाईपल्ली की ग्राम सीमा के साथ पोलकामपेट और रामाईपल्ली रिजर्व वन खंड से होते हुए उत्तरी दिशा में टेढे-मेढे ढंग से 59 से 63 की ओर जाती है। इसके बाद यह उत्तरी दिशा में टेढ़े-मेढ़े ढंग में स्टेशन सं. 63 से 65 की ओर जाती है और स्टेशन सं. 64 और 65 के बीच येलारेड्डी से कामारेड्डी की पी. डब्ल्यू. डी सड़क पार करके और यह येलारेड्डी रिजर्व वन को छूती है और इसके अतिरिक्त स्टेशन सं 66 से 72 की ओर जाती है और अंततः यह लींगमपल्ली, येलआरम और मोथे की ग्राम सीमा के साथ मोथे ग्राम के बिंदु 'ए' के स्टेशन सं. 1 पहुँचती है ।

उपाबंध-II

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांवों के नाम	मंडल	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	मोथे	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.31718	78.16117
2	पेद्दादेमी	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.32503	78.21225
3	येर्रापहाड़	तदवाई	निजामाबाद	18.29285	78.21945
4	नन्दीवाडा	तदवाई	निजामाबाद	18.27661	78.21398
5	छितयाल	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.25878	78.25007
6	सांथैपेट	तदवाई	निजामाबाद	18.23826	78.24616
7	अरगोंडा	तदवाई	निजामाबाद	18.22977	78.28092
8	पेद्दौपल्ली	बिखनुर	निजामाबाद	18.23498	78.32584
9	तालामदला	बिखनुर	निजामाबाद	18.22698	78.35394
10	तिप्पापुर	बिखनुर	निजामाबाद	18.19468	78.36467
11	दन्तेपल्ली	रामयामपीट	मेढक	18.18578	78.33110
12	परवातापुर	रामयामपीट	मेढक	18.15073	78.32715
13	कटरियाल	रामयामपीट	मेढक	18.15023	78.35109
14	गंगापुर	रामयामपीट	मेढक	18.12507	78.32162
15	लक्ष्मापुर	मेढक	मेढक	18.12955	78.36373
16	शमनापुर	मेढक	मेढक	18.10824	78.31720
17	बथोले	मेढक	मेढक	18.12008	78.29287
18	लिंगसानपल्ली	मेढक	मेढक	18.11103	78.28218
19	टिम्माईपल्ली	मेढक	मेढक	18.12159	78.28275
20	नागपुर	मेढक	मेढक	18.12526	78.26101
21	सुल्तानपुर	मेढक	मेढक	18.11394	78.25297
22	औरंगाबाद	मेढक	मेढक	18.07822	78.27004
23	टोगिता	मेढक	मेढक	18.07657	78.24816
24	मदुलवाई	मेढक	मेढक	18.06838	78.24526
25	देवान कुचनपल्ली	मेढक	मेढक	18.07216	78.23279
26	सरदाना	मेढक	मेढक	18.08376	78.17729
27	जक्कान्नापिट	मेढक	मेढक	18.10051	78.19386
28	पोचारम	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.11559	78.16962
29	वादालपरथी	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.13914	78.15426
30	वादी	मेढक	मेढक	18.15422	78.21683
31	राजपिट	मेढक	मेढक	18.15091	78.18984
32	बुरुगुपल्ली	मेढक	मेढक	18.13915	78.21670
33	कोथापल्ली	मेढक	मेढक	18.16562	78.17202
34	सिद्दापुर	तदवाई	निजामाबाद	18.16488	78.24160
35	गुन्दारम	तदवाई	निजामाबाद	18.17156	78.25141
36	कोन्दापुरम	तदवाई	निजामाबाद	18.19167	78.27931
37	पोचारम	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.11559	78.16962
38	वादालपारथी	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.13914	78.15426

39	पोलकामपेट	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.17687	78.16328
40	कन्नापुर	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.19591	78.16245
41	पोटाईपल्ली	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.22887	78.18184

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

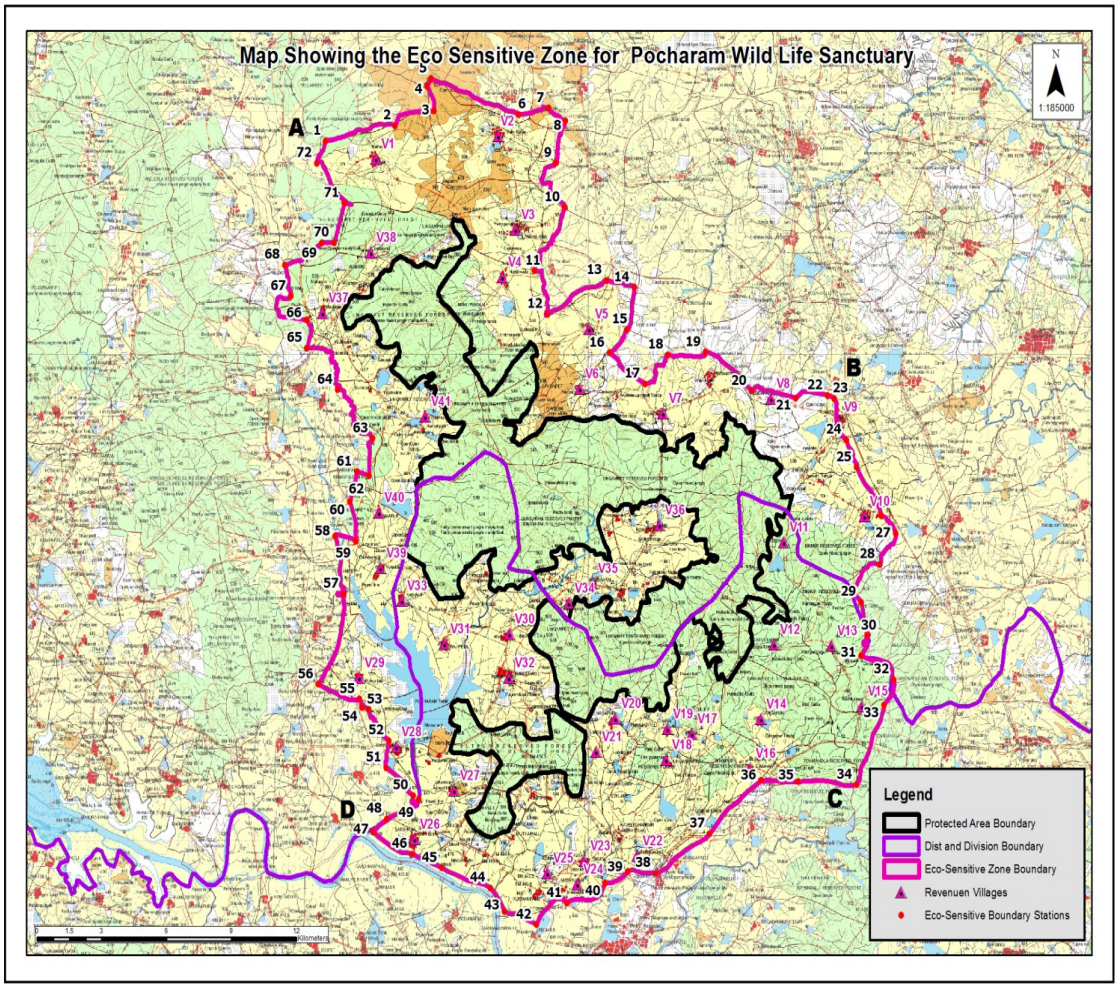

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	18.32329	78.14046	49	18.09758	78.17935
2	18.32859	78.16960	50	18.09892	78.17709
3	18.33357	78.18575	51	18.10843	78.16582
4	18.34231	78.18275	52	18.11774	78.16699
5	18.34471	78.18462	53	18.12835	78.15863
6	18.33243	78.22112	54	18.12898	78.15588
7	18.33463	78.23356	55	18.13197	78.15482
8	18.33030	78.24060	56	18.13708	78.13752
9	18.31582	78.23673	57	18.16800	78.14813
10	18.30061	78.24020	58	18.18790	78.14458
11	18.27888	78.22767	59	18.18613	78.15320
12	18.26390	78.23312	60	18.19964	78.15064
13	18.27560	78.25776	61	18.20996	78.15364
14	18.27309	78.26917	62	18.20860	78.15871
15	18.25870	78.26615	63	18.22136	78.16032
16	18.25071	78.25883	64	18.23806	78.14555
17	18.24001	78.27361	65	18.25235	78.13284
18	18.24999	78.28328	66	18.26201	78.13274
19	18.25096	78.29890	67	18.27021	78.12610
20	18.23760	78.31798	68	18.28085	78.12367
21	18.23519	78.33652	69	18.28838	78.13898
22	18.23450	78.36218	70	18.28850	78.14407
23	18.22866	78.37097	71	18.30212	78.14841
24	18.21229	78.36559	72	18.31573	78.13703
25	18.21505	78.37837			
26	18.20630	78.38699			
27	18.19212	78.37945			
28	18.17812	78.37142			
29	18.16527	78.36372			
30	18.15379	78.36621			
31	18.14684	78.36362			
32	18.13861	78.37730			
33	18.12995	78.37313			
34	18.10257	78.36186			
35	18.10379	78.33758			
36	18.10408	78.32197			
37	18.08587	78.30062			
38	18.07231	78.27814			
39	18.07282	78.26649			
40	18.06890	78.25706			
41	18.06209	78.24107			
42	18.05462	78.22836			
43	18.05908	78.21513			
44	18.06720	78.20924			
45	18.07413	78.18906			
46	18.07885	78.17661			
47	18.08632	78.16050			
48	18.09091	78.16613			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2015

S.O. 3223(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Pocharam Wildlife Sanctuary is situated in the Medak and Nizamabad Districts of Telangana between 18.20º to 18.13º North latitude and between 78.36º to 78.29º East longitude and is spread over an area of 130 square kilometre;

AND WHEREAS, the major tree species of the area are *Terminalia arjuna, Tectona grandis, Madhuca indica, Buchanania lanzan, Lannea coromandelica, Diospyros chloroxylon* and *Wrightia tinctoria*;

AND WHEREAS, the area harbours Panther, Sloth Bear, Wild Boar, Sambhar, Spotted Deer, Common fox, Four horned antelope, Jungle cat and Wild Dog;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the Pocharam Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and clause (xiv) of sub–section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read to sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent of up to five kilometer from the boundary of the Pocharam Wildlife Sanctuary in the State of Telangana as the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 380.51 square kilometer in the Nizamabad and Medak Districts of Telangana and includes 41 villages.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone varies up to five kilometer from the boundary of Pocharam Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III;**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments for integrating environmental and ecological considerations into it, including the following State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(ix) State Pollution Control Board,

(x) Irrigation,

(xi) Public Works Department

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification; and, the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the

residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area including forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Telangana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority time to time, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas upto the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.- There shall be-**

(a) no establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone, but this shall not apply to the existing legal wood based Industries;

(b) no establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone;

(c) for the proposed railway line project which passes through the villages of Tippapur and Talamadla of Bhiknoor Mandal of Nizamabad district, the Eco-sensitive zone shall be further restricted by leaving the 500 meters from the railway track.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying, crushing units	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying shall be prohibited within the ESZ except for domestic bonafide needs (b) the mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union Of Inida in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of Inida in W.P.(C) No.435 of 2012; (c) the existing projects which are falling with in the zone area after completion of lease period shall not be renewed/ extended for further period in Nizamabad district. Where as in Medak district of Eco sensitive Zone no mining activity is permitted.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.
5.	Establishment of new major hydroelectric	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.

	projects and irrigation projects.	
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any: (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan; (c) construction activity in the Eco sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan;
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(a) Promote underground cabling; (b) The laying of High Tension lines of 33 kv and above are restricted in the Eco sensitive Zone
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.

19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25	Use of polythene bags	Regulated under applicable laws.
26	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Regulated under applicable laws.
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
31.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(a) District Collector, Nizamabad – Chairman

(b) representative of District Collector, Medak – Member

(b) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case - Member

(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of one year in each case – Member

(d) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member.

(e) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner – Member.

(f) Divisional Forest Officer (T) Medak – Member

(g) Divisional Forest Officer (T) Nizambad – Member

(f) Divisional Forest Officer, Wildlife management, medak & District Wildlife Warden Medak – Member Secretary.

Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph

4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2014-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

A to B: The boundary of Eco-Sensitive Zone starts at point A from station 1 starts from North-West corner of the Mothe village boundary of Lingampet Mandal of Nizamabad district with Lat. – Long. – 18.31718 – 78.16117 and it runs towards Eastern direction and goes by touching the north side of Mothe tank then it pass through station no.2 & 3 and the boundary turn towards North direction along the station nos.4 & 5, then it touches the village boundary of Pedda Demi, then it pass towards South – East direction along the Station No.7&8, then it runs southern side station no.9,10,11&12 along the boundary line of the Yerrapahad, Nandiwada villages and reaches to bio-junction of Nandiwada and Chityal village then it runs Eastern side with stations 13 & 14 and turn towards Southern side of village boundary of Chityal along the station No.15 and reaches station No.16 it is the tri-junction point of Chityal, Santaipet, Argonda villages. Then it turns towards Eastern direction passes through station No.17, 18, 19 and reaches station No.20 of Tadmadla and Argonda bi-junction then it pass through Easter direction along the boundary line of Peddaipally – Talamadla village boundary and reaches station No.22 of village sivar of Talamadla at point 'B'.

B to C: From station No.22 of point – B, the zone boundary line starts towards Southern direction which is parallel to railway track by leaving the distance of 500 mtrs. from railway track and it runs along the southern direction by connecting station Nos.23,24,25,26 & 27 and meets the station No.28 of Tippapur village boundary and its connects the Reserve Forest of Bhiknoor and again it runs towards southern direction passing through the Reserve Forest and meets station at 29, which is the District boundary of Nizamabad and Medak Districts. From the station No.29, the zone starts along the village boundary of Katriyal of Medak district towards southern side connecting station no.30&31 and further from station No.31 the boundary line starts village boundary of Laxmapur runs towards eastern direction and turns towards southern direction by connecting station nos.33&34 which is the point – C and it is the bi-junction point of Laxmapur and Shamnapur villages.

C to D: From Station No.34 of point – C, the boundary line runs towards western direction along the village of Shamnapur connecting the station No.35, 36 then it turns slightly towards south-west direction and it crosses the Medak – Ramayampet PWD Road and it connects station No.38 and further runs it towards along the village boundary of Aurangabad and Madulwai and connecting station No.39&40, then it runs along the village boundary line of Kuchanpally village connecting station No.40, 41 and reaches station no.42 which is the tank location of Kuchanpally, Further from station no.42 the line runs towards western direction along the Kuchanpally, Fareedpur and Sardana village boundaries and from Station No.43 the line runs along the pasupuleru vagu by connecting station nos.44, 45, 46, 47 and reaches point – D on Medak – Nizamabad District boundary.

D to A: From Station No.47 of point 'D' the line runs towards northern side in zig-zag manner connecting station no.48 to 57 along the village boundaries of Pocharam, Vadalparthy of Nagireddypet Mandal the line touches the R.F. block Polkampet at station no.58 it runs towards zig-zag manner towards northern direction from 59 to 63 passes through Polkampet and Ramaipally Reserve Forest Blocks along the village boundaries of Polkampet, Kannapur and Pothaipally. Then it runs towards northern direction in zig-zag manner from station No.63 to 65 and by crossing the PWD Road of

Yellareddy to kamareddy in between station no.64 and 65 and it touches the Reserve Forest Yellareddy and goes further from station No.66 to 72 and finally it reaches station No.1 of point 'A' of Mothe village along the village boundaries of Lingampally, Yellaram and Mothe.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

S_NO	VILLAGE_NAME	MANDAL_	DISTRICT	LAT	LONG
1	Mothe	Nagireddypet	Nizamabad	18.31718	78.16117
2	Peddademi	Lingampet	Nizamabad	18.32503	78.21225
3	Yerrapahad	Tadwai	Nizamabad	18.29285	78.21945
4	Nandiwada	Tadwai	Nizamabad	18.27661	78.21398
5	Chityal	Lingampet	Nizamabad	18.25878	78.25007
6	Santhaipet	Tadwai	Nizamabad	18.23826	78.24616
7	Argonda	Tadwai	Nizamabad	18.22977	78.28092
8	Peddaipally	Bikhnoor	Nizamabad	18.23498	78.32584
9	Talamadla	Bhiknoor	Nizamabad	18.22698	78.35394
10	Tippapur	Bhikhnoor	Nizamabad	18.19468	78.36467
11	Dantepally	Ramayampet	Medak	18.18578	78.33110
12	Parvatapur	Ramayampet	Medak	18.15073	78.32715
13	Katriyal	Ramayampet	Medak	18.15023	78.35109
14	Gangapur	Ramayampet	Medak	18.12507	78.32162
15	Laxmapur	Medak	Medak	18.12955	78.36373
16	Shamnapur	Medak	Medak	18.10824	78.31720
17	Bathole	Medak	Medak	18.12008	78.29287
18	Lingsanpally	Medak	Medak	18.11103	78.28218
19	Timmaipally	Medak	Medak	18.12159	78.28275
20	Nagapur	Medak	Medak	18.12526	78.26101
21	Sultanpur	Medak	Medak	18.11394	78.25297
22	Aurangabad	Medak	Medak	18.07822	78.27004
23	Togita	Medak	Medak	18.07657	78.24816
24	Madulwai	Medak	Medak	18.06838	78.24526
25	Dewan Kuchanpally	Medak	Medak	18.07216	78.23279
26	Sardana	Medak	Medak	18.08376	78.17729
27	Jakkannapet	Medak	Medak	18.10051	78.19386
28	Pocharam	Nagireddypet	Nizamabad	18.11559	78.16962
29	Vadalparthy	Nagireddypet	Nizamabad	18.13914	78.15426
30	Waadi	Medak	Medak	18.15422	78.21683
31	Rajpet	Medak	Medak	18.15091	78.18984
32	Burugupally	Medak	Medak	18.13915	78.21670
33	Kothapally	Medak	Medak	18.16562	78.17202
34	Siddapur	Tadwai	Nizamabad	18.16488	78.24160
35	Gundaram	Tadwai	Nizamabad	18.17156	78.25141
36	Kondapuram	Tadwai	Nizamabad	18.19167	78.27931
37	Pocharam	Nagireddypet	Nizamabad	18.11559	78.16962
38	Vadalparthy	Nagireddypet	Nizamabad	18.13914	78.15426
39	Polkampet	Lingampet	Nizamabad	18.17687	78.16328
40	Kannapur	Lingampet	Nizamabad	18.19591	78.16245
41	Potaipally	Lingampet	Nizamabad	18.22887	78.18184

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

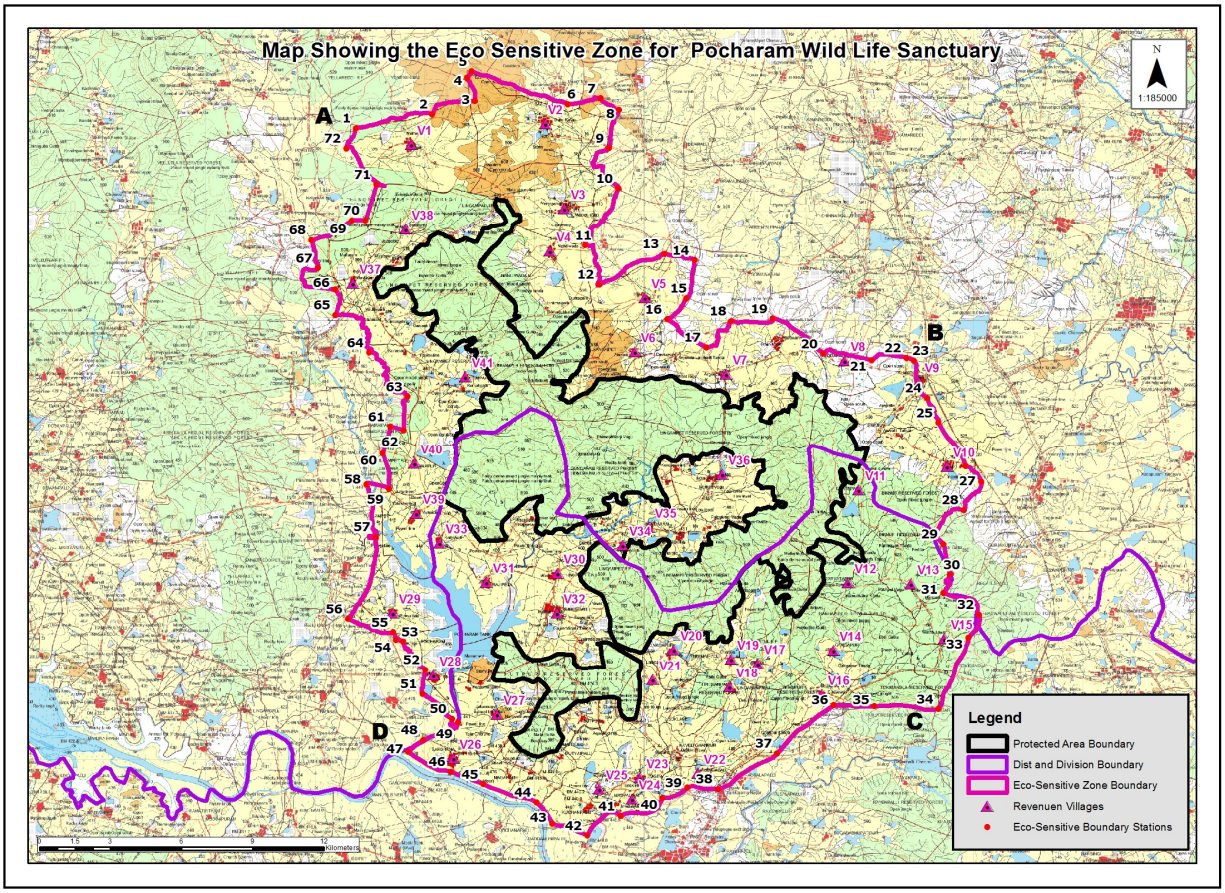

Sl. No.	Latitude	Longitude	Sl. No.	Latitude	Longitude
1	18.32329	78.14046	49	18.09758	78.17935
2	18.32859	78.16960	50	18.09892	78.17709
3	18.33357	78.18575	51	18.10843	78.16582
4	18.34231	78.18275	52	18.11774	78.16699
5	18.34471	78.18462	53	18.12835	78.15863
6	18.33243	78.22112	54	18.12898	78.15588
7	18.33463	78.23356	55	18.13197	78.15482
8	18.33030	78.24060	56	18.13708	78.13752
9	18.31582	78.23673	57	18.16800	78.14813
10	18.30061	78.24020	58	18.18790	78.14458
11	18.27888	78.22767	59	18.18613	78.15320
12	18.26390	78.23312	60	18.19964	78.15064
13	18.27560	78.25776	61	18.20996	78.15364
14	18.27309	78.26917	62	18.20860	78.15871
15	18.25870	78.26615	63	18.22136	78.16032
16	18.25071	78.25883	64	18.23806	78.14555
17	18.24001	78.27361	65	18.25235	78.13284
18	18.24999	78.28328	66	18.26201	78.13274
19	18.25096	78.29890	67	18.27021	78.12610
20	18.23760	78.31798	68	18.28085	78.12367
21	18.23519	78.33652	69	18.28838	78.13898
22	18.23450	78.36218	70	18.28850	78.14407
23	18.22866	78.37097	71	18.30212	78.14841
24	18.21229	78.36559	72	18.31573	78.13703
25	18.21505	78.37837			
26	18.20630	78.38699			
27	18.19212	78.37945			
28	18.17812	78.37142			
29	18.16527	78.36372			
30	18.15379	78.36621			
31	18.14684	78.36362			
32	18.13861	78.37730			
33	18.12995	78.37313			
34	18.10257	78.36186			
35	18.10379	78.33758			
36	18.10408	78.32197			
37	18.08587	78.30062			
38	18.07231	78.27814			
39	18.07282	78.26649			
40	18.06890	78.25706			
41	18.06209	78.24107			
42	18.05462	78.22836			
43	18.05908	78.21513			
44	18.06720	78.20924			
45	18.07413	78.18906			
46	18.07885	78.17661			
47	18.08632	78.16050			
48	18.09091	78.16613			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.